



2026:AHC:57931

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10576 वर्ष 2026

प्रबंधन समिति, श्री राजबंसी बाबा

जूनियर हाई स्कूल एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आनंद कुमार पाण्डेय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 37

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद कुमार पांडे और राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. यह रिट याचिका, प्रत्यर्थी संख्या 1 को यह निर्देश देने वाली परमादेश रिट जारी करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि वह इस संस्था को सहायता-अनुदान सूची में शामिल करे, इसके शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अनुदान प्रदान करे, और इसके अतिरिक्त दिनांक 06.06.2016/01.05.2025 के प्रत्यावेदन पर निर्णय ले।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि इस न्यायालय द्वारा रिट-सी संख्या 33570 वर्ष 2010 में दिनांक 26.09.2013 को पारित आदेश तथा तत्पश्चात् रिट-सी संख्या 23115 वर्ष 2016 में दिनांक 19.05.2016 को पारित आदेश के अनुपालन में जारी किए गए लगातार निर्देशों के बावजूद, प्रत्यर्थियों ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन अभी भी अनिर्णित पड़े हैं।

स्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



4. माननीय शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर की गई प्रार्थना का विरोध किया है कि पिछली रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए वर्तमान रिट याचिका विचारणीय नहीं है; और यदि याचिकाकर्ताओं के अनुसार, किसी न किसी कारणवश, पहले जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया था, तो तीसरी याचिका दायर करना अनुमेय नहीं है।
5. मैंने प्रस्तुत किये गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।
6. उपर्युक्त दो आदेशों-दिनांक 26.09.2013 जो रिट-सी संख्या 33570 वर्ष 2010 में पारित किया गया था और दिनांक 19.05.2016 जो रिट-सी संख्या 23115 वर्ष 2016 में पारित किया गया था को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:-

“श्री राजवंशी बाबा जूनियर हाई स्कूल, बिनहा, जिला बलिया की प्रबंधन समिति और स्वयं को प्रबंधक बताने वाले द्वारिका सिंह ने, आजमगढ़ क्षेत्र, आजमगढ़ के क्षेत्रीय सहायक शिक्षा निदेशक (प्राथमिक) द्वारा 25 मार्च, 2010 को पारित आदेश को निरस्त करवाने के लिए यह याचिका दायर की है; इस आदेश के तहत, स्कूल को सहायता अनुदान सूची में शामिल करने के लिए दायर प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर दिया गया था।

आक्षेपित आदेश में आवेदन को अस्वीकार करने के लिए तीन आधार दिए गए हैं। पहला आधार यह है कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियाँ उ.प्र. मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली, 1978 और उ.प्र. मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (लिपिक वर्ग कर्मचारियों और समूह 'घ' कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली, 1984 के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई थीं। दूसरा आधार यह है कि संस्थान में स्वीकृत पदों की तुलना में अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। तीसरा आधार यह है कि विद्यालय द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह पता चल सके कि सहायक शिक्षकों के छह पद कब सृजित किए गए थे।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि इस याचिका में शामिल विवाद, न्यायालय द्वारा 27 अगस्त, 2013 को रिट याचिका संख्या 59940 वर्ष 2010 (प्रबंध समिति, शिवदेई बालिका जूनियर हाई स्कूल, बीसलपुर, पीलीभीत एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिए गए निर्णय के अंतर्गत आता



है, जो ग्यारह अन्य रिट याचिकाओं से जुड़ी हुई थी। उनके अनुसार, पहला आधार निर्णय में उल्लिखित मामलों की पहली श्रेणी में आता है, जबकि दूसरा और तीसरा आधार निर्णय में उल्लिखित मामलों की दूसरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रिट याचिकाओं की पहली श्रेणी को स्वीकार कर लिया गया था, और राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह निर्णय में की गई टिप्पणियों के आलोक में एक नया आदेश पारित करे। रिट याचिकाओं की दूसरी श्रेणी को भी स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया कि वह स्कूल द्वारा अनुदान-सहायता सूची में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तुत आवेदनों पर, 7 सितंबर, 2006 के सरकारी आदेश के अनुसार, एक नया आदेश पारित करे; ऐसा करने से पहले याचिकाकर्ताओं को पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि आदेश में उल्लिखित कारणों से आवेदन को अस्वीकार करते समय याचिकाकर्ताओं को कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था।

रिट याचिका संख्या 59940 वर्ष 2010 में दिनांक 27 अगस्त, 2013 को पारित उपर्युक्त निर्णय और आदेश में दिए गए कारणों को देखते हुए, क्षेत्रीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2010 को पारित आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है। तथापि, राज्य सरकार के लिए यह खुला रहेगा कि वह याचिकाकर्ताओं को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद, ऊपर संदर्भित आधार संख्या 2 और 3 के संबंध में एक नया आदेश पारित करे। राज्य सरकार उपर्युक्त निर्णय में की गई टिप्पणियों के आलोक में, पहले आधार के संबंध में भी एक नया आदेश पारित करेगी।

तदनुसार, रिट याचिका को ऊपर बताए गए विस्तार तक स्वीकार किया जाता है।

आदेश दिनांक:- 26.9.2013

.....

याचिकाकर्ता प्रबंधक समिति ने 25 मार्च 2010 के आदेश को चुनौती देते हुए रिट सी संख्या 33570 वर्ष 2010 दायर की। यह आदेश क्षेत्रीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आजमगढ़ क्षेत्र, आजमगढ़ द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा संस्थान को अनुदान-सहायता सूची में शामिल करने के लिए दायर आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। इस न्यायालय ने 26 सितंबर



2013 के आदेश द्वारा इस रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और राज्य सरकार को एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि रिट याचिका में जारी निर्देश के अनुपालन में, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया द्वारा प्रबंधक को 21 जनवरी 2014 को एक सूचना जारी की गयी थी, जिसके जवाब में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने एक विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि राज्य सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने परमादेश जारी करने की प्रार्थना की है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को निर्देश दिया जाए कि वह स्कूल को अनुदान-सहायता के वितरण के संबंध में याचिकाकर्ताओं के दावे पर निर्णय ले।

माननीय शासकीय अधिवक्ता ने अत्यंत निष्पक्षतापूर्वक यह निवेदन किया कि यदि इस मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो प्रथम प्रत्यर्थी याचिकाकर्ताओं के दावे पर उस समयावधि के भीतर निर्णय लेगा, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाए।

तदनुसार, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रथम प्रत्यर्थी इस मामले में अंतिम निर्णय ले, यदि उसने पहले से ऐसा नहीं किया है—और यह निर्णय इस न्यायालय द्वारा 26 सितंबर 2013 को रिटसी संख्या 33570 वर्ष 2010 में जारी निर्देश के अनुपालन में, इस आदेश की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर लिया जाए।

आदेश दिनांक:- 19.5.2016"

7. ऊपर बताए गए आदेशों को देखने से पता चलता है कि वर्ष 2010 में किसी समय, याचिकाकर्ताओं का सहायता अनुदान सूची में शामिल होने का दावा राज्य सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया था; और यद्यपि उक्त आदेश को 26.09.2013 को निरस्त कर दिया गया था, फिर भी यदि उस आदेश में मामले पर पुनर्विचार करने के लिए दिए गए निर्देश का पालन नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला था कि वे कार्यवाही का कारण उत्पन्न होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, इस न्यायालय के अवमानना क्षेत्राधिकार का सहारा ले सकते थे।



8. विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवमानना का कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था, बल्कि दायर की गई दूसरी याचिका को स्वीकार किया गया और 2016 में नए निर्देश जारी किए गए कि पिछले आदेश के अनुपालन में इस मामले का निस्तारण तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाए।
9. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि यह आदेश याचिकाकर्ताओं के दिनांक 06.06.2016 के आवेदन (याचिका का अनुलग्नक-16) के अनुसरण में प्रत्यर्थियों को तामील किया गया था।
10. ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2016 में उक्त पत्र भेजने के बाद, याचिकाकर्ताओं ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की, और यह पहली बार वर्ष 2025 में, अर्थात् नौ वर्षों की अवधि के बाद, एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।
11. न्यायालय की सुविचारित राय में, एक ही राहत के लिए लगातार रिट याचिकाएँ दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
12. चूँकि यह उसी वाद-हेतुक के लिए तीसरी रिट याचिका है, अतः यह विचारणीय नहीं है।
13. अतः, रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र)

मार्च 20, 2026

एके शुक्ला/-